

प्रदेश में 730 पी.एम. शरी स्कूलों की स्थापना का अनुसमर्थन

चर्चा में क्यों?

4 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्र-परिषद की बैठक हुई जिसमें मंत्र-परिषद ने प्रदेश में 730 पी.एम. शरी स्कूलों की स्थापना का अनुसमर्थन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में अधिकतम 02 स्कूल (313 विकासखंडों में 626) और 52 जिलों के नगरीय नकियों में 104 स्कूल, इस तरह अधिकतम 730 स्कूलों को पी.एम. शरी स्कूल के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- चिह्नित स्कूलों में से एक प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा पहली से आठवीं) एवं एक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये संचालित होगा। पी.एम. शरी स्कूल की लागत 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य द्वारा वहन की जाएगी।
- सभी 730 पी.एम. शरी स्कूलों पर प्रतिवर्ष 277 करोड़ 40 लाख रुपए का व्यय भार आएगा, जिसमें से राज्यांश 110 करोड़ 96 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगा।
- यह परियोजना 5 वर्ष की है और इस अवधि में 554 करोड़ 80 लाख रुपए का व्यय भार राज्य सरकार पर आएगा। योजना के 5 वर्ष बाद इसका संचालन पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि पी.एम. शरी स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के समग्र रूप से अनुपालन के साथ शिक्षा की गुणवत्ता, समानता एवं शिक्षा सुविधा की पहुँच का समावेश किया जाएगा। ये स्कूल अन्य विद्यालयों के लिये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होंगे।